6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	संजय कुमार गोरा, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	53 / 2021
दायर दिनांक	:	01.12.2021
निर्णय दिनांक	:	14.02.2023

उनवान

1. दुलीचन्द पुत्र स्व. काना, जाति बैरवा, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
2. अंगूरी देवी पत्नी राजूलाल, जाति बैरवा, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
3. दिलखुश पुत्र राजूलाल (नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता अंगूरीदेवी), जाति बैरवा, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
4. जितेन्द्र पुत्र राजूलाल (नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता अंगूरीदेवी), जाति बैरवा, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
5. अनिता पुत्री श्रवणलाल, (नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक ताऊ दुलीचन्द पुत्र काना), जाति बैरवा, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
6. प्रीति पुत्री श्रवणलाल, (नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक ताऊ दुलीचन्द पुत्र काना), जाति बैरवा, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
7. रेखा पुत्री श्रवणलाल, (नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक ताऊ दुलीचन्द पुत्र काना), जाति बैरवा, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा

वादीगण

बनाम

1. बद्री पुत्र रामदेव, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
2. गंगासहाय पुत्र रामदेव, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
3. बनवारी पुत्र रामलाल उर्फ रामल्या, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
4. लोहड्या पुत्र रामलाल उर्फ रामल्या, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
5. मूलचन्द पुत्र सोन्या, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
6. रमेश पुत्र सोन्या, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
7. मोहनलाल पुत्र मांग्या, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
8. कालू पुत्र रामपाल उर्फ रामलाल, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
9. रामकिशोर पुत्र रामपाल उर्फ रामलाल, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
10. बरजी बेवा रामपाल उर्फ रामलाल, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
11. बसन्तीदेवी पुत्री रामपाल उर्फ रामलाल, निवासी ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा
13. उप तहसीलदार भाण्डारेज, तहसील दौसा जिला दौसा

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

(7)

प्रकरण संख्या : 53/2021
दुलीचन्द वगै. बनाम बद्री वगै.
निर्णय दिनांक : 14.02.2023

वाद बाबत् उद्‌घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज

उपस्थित अधिवक्ता : श्री राजकुमार तिवाड़ी (वादीगण की ओर से)
श्री महेश कुमार शर्मा (प्रतिवादी संख्या 3 लगा. 6 व 8 की ओर से)

—: निर्णय :—

वादी द्वारा यह वाद पत्र बाबत् उद्‌घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 ग्राम ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा के रहने वाले हैं। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा है, जो लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार हैं। ग्राम ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1654/1721 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 1656 रकवा 0.11 है., खसरा नम्बर 1657 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1658 रकवा 0.11 है., खसरा नम्बर 1659 रकबा 0.49 है., खसरा नम्बर 1660 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 1661 रकवा 0.15 है., खसरा नम्बर 1662 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 1663 रकवा 0.02 है., खसरा नम्बर 1664 रकबा 0.35 है कुल किता 10 कुल रकबा 1.82 है. स्थित है, जिसकी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1973 को कन्हैयालाल, राधेश्याम, राधामोहन, राधागोविन्द पिसरान गोवर्धन जाति ब्राह्मण साकिन देह गीजगढ़ से खरीद की है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण खरीद के दिन से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। दौराने सेटलमेन्ट कार्यवाही उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का पुराने से नया रिकॉर्ड बनाने में सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा वादीगण के पिता, ससुर, दादा काना के पिता का नाम गंगल्या की जगह सुखपाल गलत दर्ज कर दिया था जबकि वादीगण के पिता, ससुर, दादा काना के पिता का नाम गंगल्या था तथा वादीगण के पिता, ससुर, दादा काना वगैरह 3 भाई थे मांगीराम उर्फ मांग्या, रामपाल उर्फ रामलाल व काना है। किन्तु सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा अनधिकृत व मनमाने तरीके से वादीगण के पिता, ससुर, दादा काना के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गंगल्या की जगह सुखपाल गलत अंकित कर दिया जिसके कारण वादीगण के पिता, सुसर, दादा काना पुत्र गंगल्या का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड 1/6 की जगह 1/8 दर्ज कर दिया कि उनको कानूनन कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं था जिसको वादीगण दुरुस्त कराने के अधिकारी हैं। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता, ससुर, दादा काना पुत्र गंगल्या उर्फ गंगाराम का हिस्सा 1/8 साबिक रिकॉर्ड अनुसार गलत दर्ज कर रखा है जबकि काना पुत्र गंगल्या उर्फ गंगाराम का वादग्रस्त भूमि में हिस्सा साविक रिकॉर्ड अनुसार 1/6 दर्ज होना चाहिए था लेकिन सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा दौराने सेटलमेन्ट जब साबिक रिकॉर्ड से हाल रिकॉर्ड बनाया तथा विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1973 के आधार पर अमल दारामद पर्चा खतौनी में किया गया जिसमें काना को सुखपाल का पुत्र बना दिया जबकि काना, गंगल्या का पुत्र था जिसके कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में सभी खातेदारान के हिस्सा कम व ज्यादा हो गया। जिसके फलस्वरूप वादीगण के पिता, ससुर, दादा काना पुत्र गंगल्या का हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में 1/6 की जगह 1/8 गलत दर्ज हो गया जिसको वादीगण दुरुस्त करवाये जाने के कानूनन हक एवं अधिकारी हैं। जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की अन्य भूमि खसरा नम्बर 1538 रकवा 0.65 है., खसरा नम्बर 1539 रकवा 0.66 है., खसरा नम्बर 1646 रकवा 0.04 है. खसरा नम्बर 1647 रकबा 0.02 है., खसरा नम्बर 1648 रकवा 0.01 है., खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 1650 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 1651 रकवा 0.14 है., खसरा नम्बर 1652 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 1653 रकवा 0.08 है., खसरा नम्बर 1654 रकवा 0.06 है., खसरा नम्बर 1655 रकबा 0.35 है. कुल किता 12 कुल रकवा 2.43 है. वाके ग्राम ब्राह्मणों का बास कालाखो में स्थित है जिसके राजस्व रिकॉर्ड जमावन्दी में भी वादीगण के पिता, ससुर, दादा का हिस्सा 1/6 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इससे स्पष्टतः प्रमाणित है कि इस प्रकार वादी उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता, ससुर, दादा काना पुत्र गंगल्या का हिस्सा 1/8 की जगह 1/6 हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी हैं एवं इसी अनुसार

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (र

काना पुत्र गंगल्या की विरासत का नामान्तकरण वादीगण के हक में खुलवाने के अधिकारी हैं। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री उद्घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज इस कदर की डिक्री पारित फरमाई जावे कि ग्राम ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि आराजी खसरा नम्बर 1654/1721 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 1656 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 1657 रकवा 0.10 है., खसरा नम्बर 1658 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 1659 रकबा 0.49 है., खसरा नम्बर 1660 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 1661 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 1662 रकवा 0.14 है., खसरा नम्बर 1663 रकबा 0.02 है., खसरा नम्बर 1664 रकबा 0.35 है कुल किता 10 कुल रकबा 1.82 है. स्थित है, के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता, ससुर, दादा पिता, दादा काना पुत्र गंगल्या का हिस्सा 1/8 की जगह 1/6 दर्ज साबिक रिकॉर्ड अनुसार किया जावे एवं इसी अनुसार काना पुत्र गंगल्या की विरासत का नामान्तकरण वादीगण के हक में खोला जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गयी। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11 स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 7 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 व 8 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा नम्बर 1654/1721 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 1656 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 1657 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1658 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 1659 रकबा 0.49 है., खसरा नम्बर 1660 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 1661 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 1662 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 1663 रकबा 0.02 है., खसरा नम्बर 1664 रकबा 0.35 है कुल किता 10 कुल रकबा 1.82 है. स्थित है, जिसके वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1973 को कन्हैयालाल, राधेश्याम, राधामोहन, राधागोविन्द पिसरान गोवर्धन जाति ब्राह्मण साकिन देह गीजगढ़ से खरीद की है परन्तु उक्त भूमि का सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पुराने से नया रिकॉर्ड बनाने में वादीगण के पिता, ससुर, दादा काना के पिता का नाम गंगल्या की जगह सुखपाल गलत दर्ज कर दिया था जबकि वादीगण के पिता, ससुर, दादा काना के पिता का नाम गंगल्या था तथा वादीगण के पिता, ससुर, दादा काना वगैरह 3 भाई थे मांगीराम उर्फ मांग्या, रामपाल उर्फ रामलाल व काना है। किन्तु सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा अनधिकृत व मनमाने तरीके से वादीगण के पिता, ससुर, दादा काना के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गंगल्या की जगह सुखपाल गलत अंकित कर दिया जिसके कारण वादीगण के पिता, सुसर, दादा काना पुत्र गंगल्या का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड 1/6 की जगह 1/8 दर्ज कर दिया कि उनको कानूनन कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं था जिसको वादीगण दुरुस्त कराने के अधिकारी हैं। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता, ससुर, दादा काना पुत्र गंगल्या उर्फ गंगाराम का हिस्सा 1/8 साबिक रिकॉर्ड अनुसार गलत दर्ज कर रखा है जबकि काना पुत्र गंगल्या उर्फ गंगाराम का वादग्रस्त भूमि में हिस्सा साबिक रिकॉर्ड अनुसार 1/6 दर्ज होना चाहिए था लेकिन सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा दौराने सेटलमेन्ट जब साबिक रिकॉर्ड से हाल रिकॉर्ड बनाया तथा विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1973 के आधार पर अमल दारामद पर्चा खतौनी में किया गया जिसमें काना को सुखपाल का पुत्र बना दिया जबकि काना, गंगल्या का पुत्र था जिसके कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में सभी खातेदारान के हिस्सा कम व ज्यादा हो गया। जिसके फलस्वरूप वादीगण के पिता, ससुर, दादा काना पुत्र गंगल्या का हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में 1/6 की जगह 1/8 गलत दर्ज हो गया जिसको वादीगण दुरुस्त करवाये जाने के कानूनन हक एवं अधिकारी हैं। जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की अन्य भूमि खसरा नम्बर 1538 रकबा 0.65 है., खसरा नम्बर 1539 रकबा 0.66 है., खसरा नम्बर 1646 रकबा 0.04 है. खसरा नम्बर 1647 रकबा 0.02 है., खसरा नम्बर 1648 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 1650 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 1651 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 1652 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 1653 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 1654 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (रा.)

1655 रकबा 0.35 है। कुल किता 12 कुल रकबा 2.43 है। वाके ग्राम ब्राह्मणों का बास कालाखो में स्थित है जिसके राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में भी वादीगण के पिता, ससुर, दादा का हिस्सा 1/6 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इससे स्पष्टतः प्रमाणित है कि इस प्रकार वादी उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता, ससुर, दादा काना पुत्र गंगल्या का हिस्सा 1/8 की जगह 1/6 हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी हैं एवं इसी अनुसार काना पुत्र गंगल्या की विरासत का नामान्तकरण वादीगण के हक में खुलवाने के अधिकारी हैं। इस कदर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दुरुस्ती किये जाने में मिन प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 9, 10 व 11 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हैं। वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जावे तो प्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रार्थीगण के हिस्से बटा सही किये जावे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जावे।

इस प्रकार प्रकरण में न्यायालय में उपस्थित हुए प्रतिवादीगण ने वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री फरमाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली में तनकीयात कायम किये बिना वादीगण का साक्ष्य तलब किया गया। वादीगण की ओर से दुलीचन्द पुत्र स्व. काना का शपथ-पत्र बाबत् साक्ष्य वादीगण पेश किया गया। दुलीचन्द पुत्र स्व. काना ने वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता, ससुर, दादा पिता, दादा काना पुत्र गंगल्या का हिस्सा 1/8 की जगह 1/6 दर्ज साबिक रिकॉर्ड के अनुसार किये जाने एवं इस अनुसार काना पुत्र गंगल्या की विरासत का नामान्तकरण वादीगण के हक में खोले जाने का समर्थन किया।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादीगण की ओर से वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादपत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री उद्घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज इस कदर की डिक्री पारित फरमाई जावे कि ग्राम ब्राह्मणों का बास (कालाखो), तहसील दौसा जिला दौसा में भूमि आराजी खसरा नम्बर 1654/1721 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 1656 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 1657 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1658 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 1659 रकबा 0.49 है., खसरा नम्बर 1660 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 1661 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 1662 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 1663 रकबा 0.02 है., खसरा नम्बर 1664 रकबा 0.35 है कुल किता 10 कुल रकबा 1.82 है। स्थित है, के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता, ससुर, दादा पिता, दादा काना पुत्र गंगल्या का हिस्सा 1/8 की जगह 1/6 दर्ज साबिक रिकॉर्ड अनुसार किया जावे एवं इसी अनुसार काना पुत्र गंगल्या की विरासत का नामान्तकरण वादीगण के हक में खोला जावे। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 ग्राम ब्राह्मणों का बास तहसील दौसा के खाता संख्या नया 16 अन्तर्गत काना पुत्र गंगल्या उर्फ गंगाराम का हिस्सा 1/8 होना अंकित है। जबकि इसी ग्राम की अन्य जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 के खाता संख्या नया 22 अन्तर्गत काना पुत्र गंगल्या का हिस्सा 1/6 होना अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध भू-प्रबन्ध विभाग की पर्चा खतौनी सम्वत् 2037 अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी में कन्हैयालाल, राधेश्याम, राधामोहन, राधागोविन्द पि. गोरधन का नाम निरस्त कर सोन्या, रामदेव, रामलाल, काना पि. सुखपाल हिस्सा 1/2, मांग्या, रामपाल पि. गंगाराम हिस्सा 1/2 का नाम दर्ज किये जाने का अंकन है। उक्त पर्चा खतौनी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि काना को सहवन से सुखपाल का वारिस माना गया था। तदुपरान्त सुखपाल के हिस्से 1/2 में से काना का हिस्सा 1/8 दर्ज हो गया। प्रकरण में न्यायालय में उपस्थित हुए प्रतिवादीगण ने भी वादीगण का वादपत्र स्वीकार करते हुए डिक्री फरमाने का निवेदन किया है। इसके अतिरिक्त दुलीचन्द पुत्र स्व. काना ने भी अपने साक्ष्य में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में काना पुत्र गंगल्या का हिस्सा 1/8 गलत दर्ज होने का कथन करते हुए गलत हिस्सा 1/8 की जगह सही हिस्सा 1/6 दर्ज कर इसी अनुसार काना पुत्र गंगल्या की विरासत का नामान्तकरण वादीगण के हक में खोले जाने का समर्थन किया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात्, दुलीचन्द पुत्र स्व. काना द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं उपस्थित प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत्

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (रा.)

10

उद्घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाकर काना पुत्र गंगल्या को ग्राम ब्राह्मणों का बास, तहसील दौसा जिला दौसा स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1654/1721 रकबा 0.20 है., खसरा नम्बर 1656 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 1657 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1658 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 1659 रकबा 0.49 है., खसरा नम्बर 1660 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 1661 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 1662 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 1663 रकबा 0.02 है., खसरा नम्बर 1664 रकबा 0.35 है कुल किता 10 कुल रकबा 1.82 है. के हिस्सा 1/6 का खातेदार घोषित् किया जाता है एवं इस आशय की डिक्री किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में काना पुत्र गंगल्या का हिस्सा 1/8 की जगह 1/6 दुरुस्त किया जाकर नवीन दर्ज हिस्से अनुसार काना पुत्र गंगल्या की विरासत का नामान्तकरण वादीगण के पक्ष में खोला जावे। इसी क्रम में जमाबन्दी में दर्ज मांग्या पुत्र गंगल्या के वारिसों का हिस्सा संशोधित किया जाकर मांग्या पुत्र गंगल्या का हिस्सा 1/6 मानते हुए मांग्या पुत्र गंगल्या के वारिसों का हिस्सा दर्ज किया जावे। जमाबन्दी में दर्ज रामपाल पुत्र गंगल्या के वारिसों का हिस्सा संशोधित किया जाकर रामपाल पुत्र गंगल्या का हिस्सा 1/6 मानते हुए रामपाल पुत्र गंगल्या के वारिसों का हिस्सा दर्ज किया जावे। जमाबन्दी में दर्ज रामदेवा पुत्र सुखपाल के वारिसों का हिस्सा संशोधित किया जाकर रामदेवा पुत्र सुखपाल का हिस्सा 1/6 मानते हुए रामदेवा पुत्र सुखपाल के वारिसों का हिस्सा दर्ज किया जावे। जमाबन्दी में दर्ज सोन्या पुत्र सुखपाल के वारिसों का हिस्सा संशोधित किया जाकर सोन्या पुत्र सुखपाल का हिस्सा 1/6 मानते हुए सोन्या पुत्र सुखपाल के वारिसों का हिस्सा दर्ज किया जावे। जमाबन्दी में दर्ज रामलाल पुत्र सुखपाल का हिस्सा संशोधित किया जाकर रामलाल पुत्र सुखपाल का हिस्सा 1/6 दर्ज किया जावे।

तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो कि निर्णय/डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा